कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला दुर्ग (छ.ग.)

//आदेश//

क्रमांक/1910 /अ.जि.म./2022 दुर्ग, दिनांक 10/01/2022

छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर के दिशा–निर्देश क्रमांक 567/स.सा.प्र.वि./2021 नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 04.01.2022 के परिपालन में कोविड–19 एवं नये वेरिएण्ट ओमिक्रान के संक्रमण के बढ़ती हुई रफ्तार को दृष्टिगत रखते हुए दण्ड प्रकिया सहिता 1973 की धारा 144(1) एपिडेमिक एक्ट, 1897 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जिला दुर्ग में आम जनता के आवागमन एवं अन्य सार्वजनिक गतिविधियों पर आगामी आदेश पर्यन्त युक्तियुक्त प्रतिबंध अधिरोपित किये गए हैं तथा जिले में आगामी लॉकडाउन के आशंका से दैनिक उपभोग की जाने वाली वस्तुओं की जमाखोरी व खुदरा मुल्यों से अधिक विक्रय को नियंत्रित किये जाने हेतु जिला दुर्ग के खाद्य नियंत्रक, अनुविभागीय अधिकारी रा0 सर्व एवं जिले के सभी आयुक्त नगर निगम/नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत के अधिकारी, तहसीलदार एवं पुलिस विभाग अपने क्षेत्र मे सतत् निरीक्षण कर जमाखोरी व खुदरा मुल्य से अधिक विक्रय किये जाने पर संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

कलेक्टर
एवं जिला दण्डाधिकारी,
दुर्ग (छ.ग.)

जिला दण्डाधिकारी दुर्ग

जिला मजिस्ट्रेट दुर्ग (छ.ग.)

पृ.क्रमांक/1910 /अ.जि.म./2022 दुर्ग, दिनांक 10 /01/2022

प्रतिलिपि :–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह (पुलिस) विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
2. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ।
3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर को सादर सूचनार्थ।
4. आयुक्त, दुर्ग संभाग, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
5. पुलिस महानिरीक्षक, दुर्ग रेंज, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
6. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग/भिलाई/भिलाई चरौदा/रिसाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. सर्व इंसिडेन्ट कमान्डर, जिला दुर्ग को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. सर्व अनुविभागीय दण्डाधिकारी, जिला दुर्ग को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. सर्व तहसीलदार/कार्यपालिक दण्डाधिकारी, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. खाद्य नियंत्रक, दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
13. उप संचालक जनसंपर्क, दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
14. सर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

15. सर्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगरीय निकाय, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

16. समस्त कार्यालय प्रमुख ————————————जिला दुर्ग को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

कलेक्टर
एवं जिला दण्डाधिकारी,
दुर्ग (छ.ग.)